न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—123/2022/75 एल. आर.एक्ट (2022/123)

मूर्ति मंदिर श्री मोहनलाल जी विराजमान वाके ग्राम खरवा जरिए ग्रामवासियान प्रतिनिधिगण, आम जनता खरवा, ग्राम पंचायत खरवा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर जरिएः—

1. श्रीमती कविता कुमारी पत्नी राव श्री चन्द्रसेन राजपूत
2. यदुनाथ सेन पुत्र राव श्री चन्द्रसेन राजपूत
3. मनीष कुमार पुत्र दुलीचंद माली
4. छोटू पुत्र लाल गुर्जर

समस्त निवासी ग्राम खरवा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. प्रेम प्रकाश पुत्र टालेश्वर प्रसाद जाति साधु, निवासी सदर बाजार खरवा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/विहित प्राधिकारी, मसूदा विरूद्ध आदेश दिनांक 09.09.2021.प्रकरण संख्या 21/270

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री राघवेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02.

निर्णय

दिनांकः—21.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/विहित प्राधिकारी,मसूदा के द्वारा प्रकरण क्रमांकःउखम/राजस्व/भू0रू0/21/270 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 4314/1575 रकबा 0.0566 हैक्टर वाकै ग्राम खरवा तहसील मसूदा का कृषि से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ परिवर्तन बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 2007 रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष तथ्यों को छिपाते हुए दिनांक 4.8.2021 को मिथ्या शपथ पत्र के आधार पर प्रस्तुत किया। जो कि दिनांक 11.8.

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

2021 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा दर्ज कर दिनांक 13.8.2021 को प्रकरण में रिकार्ड मौके की स्थिति अब्दुल रहमान से प्रभावित प्रकरण किसी प्रकार का वाद विवाद स्थगन आदि बाबत जांच कर अनुशंषा के निर्धारण प्रेषित करने हेतु मौका रिपोर्ट तहसीलदार मसूदा से तलब की गई। तहसीलदार भू0अ0 निरीक्षण व पटवारी हल्का खरवा द्वारा दिनांक 16.8.2021 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रस्तावित भूमि की किस्म तालाबी द्वितीय व रकबा 566 मीटर अंकन करते हुए प्रस्तावित भूमि डूब क्षेत्र में नहीं होने का अंकन कर रिपोर्ट बनाकर उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को दिनांक 17.8.2021 को सपरिवर्तन किए जाने की अनुशंषा सहित प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 9.9.2021 से उपरोक्त आराजीयात को राजस्थान भू–राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि भूमि के लिए सपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 9 (3)(4)(6) व संशोधित नियम दिनांक 26.4.2011 व संशोधित अधिसूचना के तहत अकृषि प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन किए जाने बाबत आदेश पारित किए गए है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/विहित प्राधिकारी,मसूदा के द्वारा प्रकरण क्रमांकःउखम/राजस्व/ भू0रू0/21/270 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 4314/1575 हाल खसरा 4910/4902 व 4911/4902 राजस्व अभिलेख अनुसार मूर्ति मंदिर मोहनलाल जी खातेदारी की आराजी रही है जिस हेतु निम्नाकित दस्तावेजात अपील निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज है जो कि प्रकरण में अपीलांट मूर्ति मंदिर मोहनलाल जी को पक्षकार नहीं बनाया जाकर बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है अतः अधीनस्थ न्यायालय में उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके व अपील के साथ न्यायालय के समक्ष निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे है। (1) खतौनी जमाबदी सम्वत 1359 सनफसली (2) जमाबंदी सम्वत 2020 से 2023 (3) जमाबंदी सम्वत 2024 से 2027 (4) जमाबंदी सम्वत 2041 (5) जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 (6) मिलान क्षेत्रफल (7) नक्शा (8) राजस्व वाद संख्या 21/2016 (9) आदेशिका दिनांक 24.2.2016 से 25.3.2022 (10) राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2016 (11) आदेशिका दिनांक 24.2.2016 से 25.3.2022 (12) सपरिवर्तन प्रार्थना पत्र दिनांक 16.9.2020 व शपथ पत्र (13) आदेश दिनांक 17.9.2020 उपखण्ड अधिकारी (14) चेक लिस्ट व मौका रिपोर्ट दिनांक 30.9.2020 (15) प्रेषित मौका रिपोर्ट तहसीलदार मसूदा दिनांक 28.12.2020 (16) आदेश दिनांक 31.12.2020 उपखण्ड अधिकारी। उक्त दस्तावेज वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित दस्तावेज है जो न्याय निर्णय में सहायक है। अतः उपरोक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि आराजीयात खसरा नम्बर 1087, 1270, 1274, 1296, 1673, 2738,

Scanned with CamScanner

2739, हाल खसरा संख्या 1575, 1786, 1791, 2147, 2246, 4199, 4198 कुल किता 7 रकबा 25 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी आराजी वाके ग्राम खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित है जो कि जमाबंदी सम्वत 1359 फसली अनुसार माफी मंदिर श्री मोहनलाल जैर अहतमाम पुजारी जयनारायण वल्द गुणीराम के नाम दर्ज अभिलेख है जिसे पश्चातवर्ती राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2020 से 2023 में पुजारी जयनारायण के पुत्रान मुरलीधर व रामनिवास के नाम अवैध रूप से अंकन कर दिया गया है एवं उपरोक्त राजस्व अभिलेख में रहे अवैधानिक अंकन के आधार पर माफी मंदिर मोहनलाल जी की आराजी जो कि उनकी खुद–काश्त की आराजी रही है को पुजारी जयनारायण के वारिसान द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख से बेचान रेस्पोडेंट संख्या 1 व अन्य व्यक्तियों को किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा आराजी खसरा संख्या 4314/1575 रकबा 0.0566 हैक्टर आराजीयात बाबत स्वयं के नाम उक्त विक्रय पत्र के आधार पर रहे अंकन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे बिना राजस्व अभिलेख की जांच किए मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार कर आदेश से राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि भूमि के लिए सम्परिवर्तन नियम–2007 के नियम 9 (3)(4)(6) व संशोधित नियम दिनांक 26.4.2011 व संशोधित अधिसूचना के तहत अकृषि प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन किए जाने बाबत आदेश पारित किए गए। वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 4314/1575 जिसके साबिक नम्बर 1087 रकबा 18 बिस्वा माफी मंदिर मोहनलाल के नाम खातेदारी में अंकन रही है व उपरोक्त आराजीयात बाबत पुजारी मुरलीधर पुत्र जयनारायण के वारिसान के नाम रहे अंकन के आधार पर उनके द्वारा किए गए बयनामे से अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य व्यक्तियों के नाम रहे खातेदारी इंद्राज को निरस्त कर पुनः माफी मंदिर मोहनलाल के नाम उपरोक्त आराजी को दर्ज किए जाने बाबत राजस्व वाद संख्या 21/2016 दिनांक 18.2.2016 को अधनीस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है, जो कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2016 से ही जैरकार है व उपरोक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 8 प्रेमप्रकाश पुत्र तालेश्वर रेस्पोडेंट संख्या 1 पक्षकार रहा है जो कि न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.3.2016 को उपस्थित हो चुका है उपरोक्त राजस्व वाद विचारण न्यायालय के समक्ष वास्ते जवाब व तामिल जेरकार हे जिसमें पेशी दिनांक 1.6.2022 की नियत है। उपरोक्त समस्त जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 1 को होने के बावजूद उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष उपरोक्त आराजीयात खसरा संख्या 4314/1575 जो कि माफी मंदिर मोहनलाल की खातेदारी की आराजी रही है, के बाबत रहे अवैध इंद्राजात के आधार पर प्रार्थना पत्र सपरिवर्तन हेतु वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया है, जिसे आनन–फानन में बिना राजस्व अभिलेख का अवलोकन किए रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार कर लिया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को स्वंय की खातेदारी में होना अंकन करते हुए प्रार्थना पत्र बाबत उपरोक्त आराजीयात को सपरिवर्तन किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष दिनांक 15.9.2020 को प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, द्वारा तहसीलदार मसूदा से उक्त बाबत रिपोर्ट प्रेषित किए जाने हेतु दिनांक 17.9.2020 को आदेशित किया गया एंव दिनांक 30.9.2020 को तहसीलदार मसूदा भू अभिलेख निरीक्षक खरवा लोकेश कुमार एवं पटवारी हल्का खरवा द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर उक्त आराजीयात से संबंधित प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के यहां राजस्व वाद संख्या 21/2016 विचाराधीन होने बाबत अंकन किया गया एवं दिनांक 28.12.2020 को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वाद विचाराधीन होने के कारण वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ बाबत कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, उक्त रिपोर्ट पर दिनांक 31.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक/सपरिवर्तन/2020/26874 से सपरिवर्तन पत्रावली को खारिज किा जाकर पत्रावली दाखिल दफतर किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त तथ्यों को छिपाते हुए पुनः आराजी खसरा संख्या 4314/1575 वादग्रस्त आराजीयात को कृषि से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ परिवर्तन बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष दिनांक 4.8.2021 को प्रस्तुत किया गया है। जिसमं मिथ्या शपथ–पत्र आवेदित भूमि बाबत कोई वाद नहीं चल रहा है तथा भूमि केचमेंट एरिया में नहीं होने बाबत दिया गया है। उपरोक्त आवेदन पत्र पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 13.8.2021 को तहसीलदार मसूदा को रिपोर्ट प्रेषित किए जाने बाबत आदेशित किया गया जिस पर दिनांक 16.8.2021 को तहसीलदार, मसूदा भू अभिलेख निरीक्षक लोकेश कुमार व पटवारी हल्का खरवा द्वारा पूर्व में प्रेषित की गई है व भूमि को कृषि से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन किए जाने की अनुशंषा के साथ दिनांक 17.8.2021 को उपखण्ड अधिकारी मसूदा को रिपोर्ट प्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा, द्वारा आक्षेपित आदेश से उक्त रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 4314/1575 हाल खसरा संख्या 4902/4314 रकबा 0.0516 हैक्टर तालाबी द्वितीय में से 434 वर्ग मीटर भूमि बाबत सपरिवर्तन किए जाने के आदेश पारित किए गए है जो कि प्रथम दृष्टया ही न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत आदेश पारित कर दिया। वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 1575 रकवा 18 बिस्वा साबिक खसरा संख्या 1087 रकबा 18 बिस्वा राजस्व अभिलेख खतौनी सम्वत 1359 फसली में माफी मंदिर श्री मोहनलाल की खातेदारी की आराजी रही है जिसकी किस्म तालाबी द्वितीय है व उपरोक्त आराजीयात जो कि प्रथमतः मूर्ति मंदिर की खातेदारी की आराजी होने से किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किए अवैध हस्तानान्तरण आदेश से सपरिवर्तन किए जाने योग्य नहीं है। द्वितीय भूमि की किस्म तालाबी होने सं उपरोक्त आराजीयात धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत अब्दुल रहमान बनाम सरकार से विबंधित होने से सम्परिवर्तन किए जाने योग्य नहीं है। कृषि भूमि का अकृषि भूमि के लिए सम्परिवर्तन नियम 2007 के नियम 9 (3)(4)(6) व संशोधित नियम दिनांक 26.4.2011 व संशोधित अधिसूचना के तहत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अकृषि प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन किए जाने बाबत आदेश पारित किए गए जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/विहित प्राधिकारी,मसूदा के द्वारा प्रकरण 21/270 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थी प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1, 2 व 3 में वर्णित दस्तावेज सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से कानूनन रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथाकथित दस्तावेज मिथ्या व सदभाविक नहीं होने से उनको कानूनन रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है। उपरोक्त प्रकरण का निर्णय करने में सहायक नहीं होने से कानूनन दस्तावेज को रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. तत्पश्चात् अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपील बहस में आगे कथन किया कि विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रेम प्रकाश पुत्र टालेश्वर प्रसाद वैष्णव जाति साधु निवासी खरवा तहसील मसूदा ने आवेदन पत्र ग्राम खरवा तहसील मसूदा के प्रस्तावित आराजी खसरा नम्बर 4214/1575 रकबा 0.0566 है0 का कृषि से साणिज्यिक प्रयोजनार्थ (दुकानात) परिवर्तन बाबत् पेश किया गया। उक्त संपरिवर्तन प्रकरण में तहसीलदार, मसूदा से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् राजस्व अभिलेख की जांच किये जाने के पश्चात प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आदेश से राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि भूमि के लिए सम्परिवर्तन नियम–2007 के नियम 9 (3)(4)(6) व संशोधित नियम दिनांक 26.4.2011 व संशोधित अधिसूचना के तहत अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किए जाने बाबत आदेश पारित किए गए। प्रस्तावित आराजी ग्रामीण क्षेत्र ग्राम खरवा प्रथम में स्थित है एवं जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के अनुसार आवेदक की खातेदारी आराजी दर्ज थी, जिसके साथ जमाबंदी संलग्न की गई है। विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम खातेदारी में दर्ज होने के पश्चात ही उक्त आराजी को अकृषि प्रयोजनाथ संपरिवर्तन किए जाने के आदेश दिये है जो विधि सम्मत है। विवादित आराजी मूर्ति मंकिर श्री मोहनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही थी तथा उनका किसी प्रकार हक व अधिकार नहीं है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाने के आदेश प्रदान करावे।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवातिदत भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण उन्हें न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

दीवानी को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।

9. गुणावुगण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि आराजीयात खसरा नम्बर 1087, 1270, 1274, 1296, 1673, 2738, 2739, हाल खसरा संख्या 1575, 1786, 1791, 2147, 2246, 4199, 4198 कुल किता 7 रकबा 25 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी आराजी वाके ग्राम खरवा जमाबंदी सम्वत 1359 फसली अनुसार माफी मंदिर श्री मोहनलाल जैर अहतमाम पुजारी जयनारायण वल्द गुणीराम के नाम दर्ज अभिलेख है जिसे पश्चातवर्ती राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2020 से 2023 में पुजारी जयनारायण के पुत्रान मुरलीधर व रामनिवास के नाम अवैध रूप से अंकन कर दिया गया है एवं अवैधानिक अंकन के आधार पर माफी मंदिर मोहनलाल जी की आराजी जो कि उनकी खुदकाश्त की आराजी रही है को पुजारी जयनारायण के वारिसान द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख से बेचान रेस्पोडेंट संख्या 1 व अन्य व्यक्तियों को किया गया है, जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा आराजी खसरा संख्या 4314/1575 रकबा 0.0566 हैक्टर आराजीयात बाबत स्वयं के नाम उक्त विक्रय पत्र के आधार पर रहे अंकन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष सम्परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना राजस्व अभिलेख की जांच किए मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश से राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि भूमि के लिए सम्परिवर्तन नियम 2007 के नियम 9 (3)(4)(6) व संशोधित नियम दिनांक 26.4.2011 व संशोधित अधिसूचना के तहत अकृषि प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन किए जाने बाबत आदेश पारित किए गए। वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 4314/1575 जिसके साबिक नम्बर 1087 रकबा 18 बिस्वा माफी मंदिर मोहनलाल के नाम खातेदारी में अंकन रही है व उपरोक्त आराजीयात बाबत पुजारी मुरलीधर पुत्र जयनारायण के वारिसान के नाम रहे अवैध अंकन के आधार पर उनके द्वारा किए गए बयनामे से अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य व्यक्तियों के नाम रहे खातेदारी इंद्राज को निरस्त कर पुनः माफी मंदिर मोहनलाल के नाम उपरोक्त आराजी को दर्ज किए जाने बाबत राजस्व वाद संख्या 21/2016 दिनांक 18.2.2016 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है, जो कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2016 से ही जैरकार है व उपरोक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 8 के रूप में प्रेमप्रकाश पुत्र तालेश्वर वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 पक्षकार है जो कि न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.3.2016 को उपस्थित हो चुका है उपरोक्त समस्त जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 1 को होने के बावजूद उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष उपरोक्त आराजीयात खसरा संख्या 4314/1575 जो कि माफी मंदिर मोहनलाल की खातेदारी की आराजी रही है, के बाबत प्रार्थना पत्र सपरिवर्तन हेतु वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया है, जिसे बिना राजस्व अभिलेख का अवलोकन किए गलत रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार कर लिया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा पूर्व में भी वादग्रस्त आराजीयात को स्वंय की खातेदारी में होना अंकन करते हुए प्रार्थना

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पत्र बाबत उपरोक्त आराजीयात को सपरिवर्तन किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष दिनांक 15.9.2020 को प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, द्वारा तहसीलदार मसूदा से उक्त बाबत रिपोर्ट प्रेषित किए जाने हेतु दिनांक 17.9.2020 को आदेशित किया गया एंव दिनांक 30.9.2020 को तहसीलदार मसूदा भू अभिलेख निरीक्षक खरवा लोकेश कुमार एवं पटवारी हल्का खरवा द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर उक्त आराजीयात से संबंधित प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के यहां राजस्व वाद संख्या 21/2016 विचाराधीन होने बाबत अंकन किया गया एवं दिनांक 28.12.2020 को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वाद विचाराधीन होने के कारण वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ बाबत कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, उक्त रिपोर्ट पर दिनांक 31.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक/सपरिवर्तन/2020/26874 से सपरिवर्तन पत्रावली को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त तथ्यों को छिपाते हुए पुनः आराजी खसरा संख्या 4314/1575 वादग्रस्त आराजीयात को कृषि से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ परिवर्तन बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष दिनांक 4.8.2021 को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें मिथ्या शपथ पत्र आवेदित भूमि बाबत कोई वाद नहीं चल रहा है तथा भूमि केचमेंट एरिया में नहीं होने बाबत दिया गया है। उपरोक्त आवेदन पत्र पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 13.8.2021 को तहसीलदार मसूदा को रिपोर्ट प्रेषित किए जाने बाबत आदेशित किया गया जिस पर दिनांक 16.8.2021 को तहसीलदार, मसूदा भू अभिलेख निरीक्षक लोकेश कुमार व पटवारी हल्का खरवा द्वारा पूर्व में प्रेषित की गई है व भूमि को कृषि से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन किए जाने की अनुशंषा के साथ दिनांक 17.8.2021 को उपखण्ड अधिकारी मसूदा को रिपोर्ट प्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा, द्वारा आक्षेपित आदेश से उक्त रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 4314/1575 हाल खसरा संख्या 4902/4314 रकबा 0.0516 हैक्टर तालाबी द्वितीय में से 434 वर्ग मीटर भूमि बाबत सपरिवर्तन किए जाने के आदेश पारित किए गए है वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 1575 रकबा 18 बिस्वा साविक खसरा संख्या 1087 रकबा 18 बिस्वा राजस्व अभिलेख खतौनी सम्वत 1359 फसली में माफी मंदिर श्री मोहनलाल की खातेदारी की आराजी रही है। प्रश्नगत प्रकरण में वाद विचाराधीन होने के बावजूद तहसीलदार, मसूदा के द्वारा किस प्रकार माफी मंदिर की भूमि के सम्बन्ध अनुशंसा कर दी गई तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने ही न्यायालय में विचाराधीन वाद बाबत् घोषणा के बावजूद भू–रूपान्तरित आदेश जारी किया गया, जो कि आश्चर्यजनक है।तहसीलदार का यह विधिक दायित्व है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 (1) के तहत् यदि माफी मंदिर की जमीन अव्यस्क के नाम राजस्व रिकार्ड में है, तो उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कृषि भूमि का अकृषि भूमि के लिए सम्परिवर्तन नियम 2007 के नियम 9 (3)(4)(6) व संशोधित नियम

Scanned with CamScanner

दिनांक 26.4.2011 व संशोधित अधिसूचना के तहत अकृषि प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन किए जाने बाबत आदेश दिनांक 9.9.2021 अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है, इसलिए अपील अपीलांटस स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होती है।

10. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/विहित प्राधिकारी,मसूदा के द्वारा प्रकरण क्रमांकःउखम/राजस्व/ भू0रू0/21/270 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner